

## कार्यालय: हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

### ई-निविदा सूचना:-

उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की ओर से उल्लेखित कार्यों हेतु ई-निविदा दिनांक 30.04.2026 अपरान्ह 3:00 बजे तक ई-टेंडर वेबसाइट [www.uktenders.gov.in](http://www.uktenders.gov.in) के माध्यम से निविदा एकल चरण एकल निविदा प्रणाली के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। निविदायें दिनांक 30.04.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे के बाद खोली जायेगी। निविदा शर्तों के अनुसार हार्डकॉपी में मांगे गये दस्तावेजों के मूल्यांकन उपरान्त सफल निविदादाता की वित्तीय बिड़ खोली जायेगी, जिसके संबंध में पृथक से प्राधिकरण/ई-टेंडर वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जायेगा। इच्छुक फर्म/ठेकेदार उल्लेखित कार्यों की निविदा मूल्य की धनराशि का डी0डी0 (डिमाण्ड ड्राफ्ट) अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के पक्ष में देय होगी तथा धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/बैंकर्स चेक/बैंक गारण्टी के रूप में होगी, जो अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के नाम 180 दिनों तक बन्धक हो निविदा खोलने से पूर्व मूल रूप में हार्ड कॉपी में मांगे गये अन्य दस्तावेजों के साथ दिनांक 30.04.2026 अपरान्ह 3:00 बजे तक प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में रखे सील बन्द निविदा बॉक्स में डाली जायेगी, कार्य संबंधी विवरण तथा नियम/शर्तें निम्नवत् है:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य अनुमानित लागत जी0एस0टी0 सहित (लाख में)	धरोहर राशि (रु0 में)	निविदा मूल्य (रु0 में) जी.एस.टी. सहित	कार्य अवधि
01	ग्राम रावली महदूद की आबादी की सीमा रेखा वर्तमान में वार्ड नं0 12, शिवालिक नगर, नगर पालिका के अन्तर्गत अशोक कुमार के मकान से कृपाल स्कूल तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	65.00	1,30,000.00	4250-00	04 माह
02	भूपतवाला पलाइओवर के नीचे सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	60.00	1,20,000.00	4250.00	04 माह
03	ग्राम श्यामपुर काँगड़ी में एन0एच0 से लेकर श्री राजेन्द्र सिंह के मकान तक इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक सड़क का (हरिद्वारी रोड़) निर्माण कार्य।	40.00	80,000.00	3310.00	03 माह
04	इंद्रलोक हाउसिंग कॉलोनी भाग-02 में डिवाइडरों का सौंदर्यीकरण कार्य।	44.12	89,000.00	3310.00	04 माह
05	नगर निगम, हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत एनिमल के आश्रय हेतु गृह का निर्माण काय	80.00	1,60,000.00	5200.00	06 माह

### नियम/शर्तें :-


- निविदादाता को हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण में कार्य की लागत के अनुसार उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- निविदादाता को उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत/संलग्न करना होगा।
- जी0एस0टी0 पंजीकरण की प्रति प्रस्तुत/संलग्न करना होगा।
- वित्तीय वर्ष- 2022-23, 2023-24, 2024-25 का आयकर विवरण प्रस्तुत/संलग्न करना होगा।
- धरोहर धनराशि जो कि अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के पक्ष में निर्धारित धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/बैंकर्स चेक/बैंक गारण्टी, जिसकी वैधता निविदा की अंतिम वैध अवधि के पश्चात 45 दिन की होनी चाहिये।
- फर्म/ठेकेदार द्वारा ब्लैक लिस्टेड/डिबार न होने का शपथ पत्र के साथ-साथ अपलोड/जमा किये जा रहे दस्तावेजों का सत्यापन संबंधी शपथ पत्र रु0-100.00 के स्टाम्प पेपर मूल रूप में हार्डकॉपी प्रस्तुत करना होगा।
- निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य कार्य के सम्मुख अंकित का डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी0डी0) अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के पक्ष में (NON REFUNDABLE) एवं धरोहर राशि अधिशासी अभियन्ता, ह0रु0वि0प्रा0 के पक्ष में हार्डकॉपी सील बन्द लिफाफे में दिनांक 30.04.2026 अपरान्ह 3:00 बजे तक निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 30.04.2026 में अपरान्ह 3:00 बजे तक ही अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में रखे सील बन्द निविदा बॉक्स में अनिवार्य रूप से डाली जायेगी।







9. निविदा की वैधता 180 दिनों तक मान्य हेतु फर्म/ठेकेदार को उत्तराखण्ड राज्य के रू0-100.00 के स्टाम्प प्रपत्र पर उल्लिखित करते हुये नोटराइज हार्डकॉपी प्रस्तुत करनी होगी।
10. न्यूनतम निविदादाता से जी0एस0टी0 की देयता पूर्ण संबंधी दस्तावेज लिया जा सकता है, जिसे फर्म द्वारा सर्किल ऑफिसर/सक्षम अधिकारी/सी0ए0 से प्रमाणित करते हुये प्रस्तुत करना होगा।
11. न्यूनतम वित्तीय निविदादाता द्वारा कार्य अनुबन्ध हेतु उत्तराखण्ड राज्य के 100+100 का स्टाम्प प्रपत्र तथा परफोरमेंस गारन्टी/अतिरिक्त परफोरमेंस गारन्टी एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी के रूप में होगी, जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2025 के बिन्दु संख्या-4.6 के तहत जमा करनी होगी।
12. निविदादाता को समस्त हार्डकॉपी में मांगे गये दस्तावेजों को हस्ताक्षर कर मोहर लगाते हुए एक सील बन्ध लिफाफे में फर्म का नाम, कार्य का नाम, टेण्डर आई0डी0 संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। पृथक-पृथक कार्य हेतु पृथक-पृथक लिफाफा प्रस्तुत करना होगा।
13. फर्म/ठेकेदार के रनिंग बिल/अन्तिम बिल से नियमानुसार आयकर, जी0एस0टी0, लैबर सेस, जमानत धनराशि आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
14. कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त कार्य को निर्धारित अवधि में मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार पूर्ण कराना होगा। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में नियमानुसार जुर्माना/पैनाल्टी/विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
15. प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य हेतु समस्त भुगतान मूल्यांकन एवं सत्यापन उपरान्त ही किया जायेगा। इंजीनियर-इन-चार्ज के निर्देशों के क्रम में स्थलानुसार कार्य की मात्राओं में घटौतरी/बढ़ौतरी, जो भी सम्भव हो कराया जायेगा, जो कि कार्यदायी फर्म/ठेकेदार को मान्य होगा।
16. उपरोक्त समस्त निविदाओं को स्वीकृति/निरस्त करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताये उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को निहित है।
17. समस्त निर्धारित/उल्लेखित शर्तों का पालन न करने की दशा में तथा किसी सूचना को छुपाये जाने की दशा में किसी भी समय निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
18. प्रत्येक निविदादाता को एक कार्य के लिये एक ही निविदा डालने का अधिकार होगा। एक से अधिक निविदा डालने पर निविदादाता को अयोग्य घोषित किया जायेगा।
19. असफल निविदादाता की धरोहर राशि प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 01 माह के भीतर अवमुक्त की जायेगी।
20. निविदादाता द्वारा अपने स्थान पर अपने प्रतिनिधि को हस्ताक्षर हेतु अधिकृत किया जाता है तो निविदादाता को रू0-10.00 रुपये के स्टाम्प प्रपत्र पर पावर ऑफ अटॉर्नी उल्लेखित करते हुये देनी होगी।
21. निविदा की गुणवत्ता से समझौता किये बिना निविदादाता की प्रपत्र सम्बन्धी किसी भी कमी को इग्नोर करने का अधिकार निविदा समिति का होगा।
22. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का निर्णय मान्य होगा असहमति की दशा में न्यायिक क्षेत्र जनपद-हरिद्वार रहेगा।
23. किसी भी प्रपत्र के निर्णय के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2025 के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

  
 अधि0/अधी0 अभियन्ता,  
 हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
 हरिद्वार।